874

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : रामचन्द्र खटीक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : प्रार्थना पत्र 119/2021 (2021/207)

अनवाद

छगनलाल पिता धनराज डांगी निवासी मायरा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

1- शांतिलाल पिता हीरालाल डांगी नि० मायरा तहसील चित्तौड़गढ़
2- प्रभुलाल पिता हीरालाल डांगी नि० मायरा तहसील चित्तौड़गढ़
3- मोहनलाल पिता हीरालाल डांगी नि० मायरा तहसील चित्तौड़गढ़
4- कालीबाई पुत्री हीरालाल डांगी नि० मायरा हाल पता पत्नी रतनलाल डांगी नि. रतनपुर पंचायत भाणुजा थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़
5- दूरीबाई पुत्री हीरालाल डांगी नि० मायरा हाल पता पत्नी कैलाश डांगी निवासी सतखण्डा जिला चित्तौड़गढ़
6. रामीबाई पुत्री डालचन्द डांगी मृतक के बजाय :-
6/1 श्रीमती सुरजीबाई पुत्री मांगीलाल डांगी नि० सतखण्डा
6/2 श्रीमती लीलाबाई पुत्री मांगीलाल डांगी नि० सतखण्डा (पत्नी रतनलाल जी डांगी नि० मुरलालिया बांसेन तह. निम्बाहेड़ा)
6/3 बंशीलाल पिता मांगीलाल डांगी नि० सतखण्डा तह० निम्बाहेड़ा
7- तुलसीबाई पुत्री डालचन्द डांगी नि० मायरा हाल पता पत्नी भूरालाल जी डांगी नि० सतखण्डा
8- उदीबाई पुत्री डालचन्द जी डांगी नि० मायरा तह० चित्तौड़गढ़
9- बदामीबाई पुत्री डालचन्द डांगी नि० मायरा हाल पता पत्नी शम्भुलाल जी डांगी नि० सतखण्डा
10- बगदीबाई पुत्री डालचन्द डांगी नि० हाल पता पत्नी नन्दलालजी डांगी निवासी मायरा तह. चित्तौड़गढ़
11- भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— विपक्षीगण

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

A75

कार्यवाही: अन्तर्गत धारा 251ए राज० टि०ए०

उपस्थिति: श्री अशोक कुमार राजोरा अधिवक्ता प्रार्थी

<u>निर्णय</u> दिनांक 01/12/2023

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विरूद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए. राज० टि०ए० के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मायरा प०ह० अरनियापंथ स्थित आराजी नम्बर 33, 124, 179, 460, 486, 500, 501 कीता 7 कुल रकबा 2.61 हे० भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि में से आराजी संख्या 33 के पड़ौस पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1, पश्चिम में प्रतिवादी संख्या ~~1~~ उत्तर में प्रतिवादी संख्या 3 तथा दक्षिण में सुरेश पिता चुन्नीलाल डांगी का खेत है। आराजी नम्बर 33 में आने जाने का एक मात्र रास्ता प्रतिवादी सं. 1 शांतिलाल के दक्षिणी कोने एवं सुरेश पिता चुन्नीलाल डांगी के उत्तर की तरफ विद्यमान है, जिसका प्रार्थी वर्षों से उपयोग-उपभोग अपने बाप दादाओं के समय से करता चला आ रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थी के पश्चिम के पड़ौसी प्रतिवादी सं. 1 शांतिलाल के खातेदारी में होकर प्रतिवादी नम्बर 1 के पश्चिम में स्थित आम रास्ते से जुड़ा हुआ है। इस एक मात्र रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की भूमि में जाने हेतु नहीं है, जिससे इस रास्ते को प्रार्थी बिलानाम रास्ता दर्ज कराना चाहता है। प्रार्थी ने उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की नियमानुसार ~~[illegible]~~ कीमत अदा करने का कथन कर विपक्षीगण की आराजी में से रास्ता दिलाने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एक तरफा स्वीकार कर दिनांक 29/9/2016

कार्यालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

A 16

को रास्ता कायम किए जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहाँ अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 94/2016 [illegible] शांतिलाल बनाम छगनलाल मे बाद सुनवाई दिनांक 22.3.2021 को निर्णय पारित किया गया- जिसके अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 29.9.2016 को निरस्त कर, प्रकरण इस न्यायालय को उभय पक्षों को सुना जाकर विधि अनुसार निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया।

न्यायालय हाजा मे प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर उभय पक्षकारान का जरिए सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी संख्या 4 से 10 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 23.9.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 05/8/2022 को विपक्षी संख्या 1 से 3 अथवा उनके अधिवक्ता के उपस्थित नही होने से इनके विरुद्ध भी एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मायरा की आराजी नम्बर 33 रकबा 1.27 है. पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नही होने से आराजी नम्बर 31 रकबा 0.56 है. मे से रास्ता प्रस्तावित किया गया जो 4 x 56 = 224 वर्गमीटर है। उक्त रास्ता सबसे निकटतम एवं लघुतम होकर कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त व्यय नही होना अंकित किया है। बहस

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

D77

प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन/अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब मे - प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को निराधार एवं गलत बताकर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के अपनी कृषि भूमि पर आने-जाने के लिए कोई रास्ता नही होने से कृषि कार्य हेतु आने-जाने मे काफी कठिनाई होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता कायम कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट उचित एवं स्पष्ट है। अतः हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम मायरा प.ह. अरनियापंथ तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी संख्या 33 रकबा 1.27 हे. पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करने के बाबत ग्राम मायरा की निकटतम विपक्षीगण की आराजी संख्या 31 रकबा 0.56 हे. मे से २२५ वर्गमीटर की कीमत 89.51 रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से दो गुना कुल राशि 40100.00 का भुगतान आराजी संख्या 31 के खातेदारान को किए जाने पर आराजी संख्या 31 रकबा 0.56 मे से प्रस्तावित २२५ वर्गमीटर भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है एवं उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थी को आदेश दिया जाता है

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

किं उक्त राशि 50100.00 रुपए का भुगतान आराजी संख्या 31 के खातेदारान को करने हेतु उनके नाम के हिस्सेनुसार राशि के ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के मार्फत किए जाने हेतु प्रस्तुत करें।

ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को भिजवाये जावे तथा राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, की प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित भुगतान के ~~[illegible]~~ पश्चात राजस्व रेकर्ड मे प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड मे तरमीम किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner